हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

न्यायालय सहायक कलक्टर अलवर (राजस्थान)

लोकअदालत केम्प कोर्ट : पूनखर

मुकदमा नं. 1/93 तारीख रज्रू : 08.8.16

उनवान :- दीनदयाल v/s सरकार

दावा अन्तर्गत धारा 88, 89 RTAct

दिनांक 22.5.2017

प्राज पत्रावली लोक अदालत केम्प कोर्ट पूनखर में पेश हुई। वादीगण की विवादित आराजी के ख.न. 274 रकबा 9 बीघा 4 बिस्वा, ख.न. 275 रकबा 12 बीघा 8 बिस्वा, ख.न 276 रकबा 1 बीघा 5 बिस्वा कुल किता 3 कुल रकबा 23 बीघा 2 बिस्वा (साबिक) थे। उसमें वादीगण के पिता का हिस्सा निहित था। सन् 1978 में वादीगण के पिता मनफूल का स्वर्गवास होने के पश्चात इन्तकाल सं. 300 दिनांक 03-12-1978 को विरासत तस्दीक हुआ, जिसमे साबिक आराजी वादी सं. 1 के एक मे माता नारायणी बेवा मनफूल के नाम तस्दीक हुआ। बन्दोबस्त सम्बत 2051 में विवादित आराजी में दीनदयाल के पिता का नाम मनफूल के स्थान पर रामकिशन दर्ज कर दिया तथा माता नारायणी बेवा मनफूल ~~का पिता~~ के स्थान पर रामकिशन दर्ज कर दिया जबकि रामकिशन मनफूल का पिता था। वादीगण की माता नारायणी का स्वर्गवास दिनांक 22.2.15 को हो गया जिसकी विरासत का इन्तकाल की कार्यवाही करने पर वादीगण को इसकी जानकारी हुई। वादीगण सं. 2 लगायत 7 नारायणी बेवा मनफूल की पुत्रीया है। वादीगण सं. 1 नारायणी बेवा मनफूल का पुत्र है। जमाबन्दी मे अन्य खातेदार से वादीगण कोई रीलीफ नही चाहते है तथा यह दावा नाम में दुरुस्ती का है। अतः वाद वादीगण बहक वादीगण विरुद्ध प्रतिवादीगण डिक्री फरमाया जावे तथा हाल जमाबन्दी वाके ग्राम खेडली फिरनोत तह. मालाखेडा में दीनदयाल पुत्र रामकिशन व नारायणी बेवा ~~मनफूल~~ रामकिशन 1/5 भाग के स्थान पर दीनदयाल पुत्र मनफूल व नारायणी बेवा मनफूल 1/5 भाग दुरुस्त किया जावे। पत्रावली में सरकारी पैरोकार का केम्प पूनखर मे जवाब पेश कर निवेदन किया कि इन्तकाल संख्या 300 मे दर्ज विरासत का

सहायक कलक्टर
अलवर

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

इन्तकाल दीनदयाल पुत्र मनफूल मीना ना॰ बा॰ सरपरस्त
माता नारायणी बेवा मनफूल किता 3 रकबा 23/2 पर सही
दर्ज हुआ था किन्तु उसके बाद धनी जमाबन्दी सम्वत 2036 से
2040 में मनफूल को उसके दादा काला रामकिशन के साथ
दर्ज कर मनफूल व रामकिशन भाई दर्ज हो गए इसी प्रकार
बन्दोबस्त सं॰ 2051 मे भी 1/5 हिस्से पर मनफूल के पिता का
नाम रामकिशन के स्थान पर दीनदयाल के पिता का नाम दर्ज
हो गया जबकि दीनदयाल का रामकिशन दादा लगता है।
अत: शुद्ध नाम दीनदयाल पुत्र मनफूल व नारायणी बेवा
मनफूल 1/5 हिस्से पर दर्ज होना चाहिए। नारायणी मृतक
हो चुकी है। उसके अनुसार नारायणी के वारिसान दीनदयाल
पुत्र मनफूल व उसके बहनें छोटी, भग्गो, धंगी, सन्तो
हीरा व सुकली प्रत्येक 1/7 हिस्सा पर दर्ज होना चाहिए। दर
हिस्सा 1/5 हिस्सा होना चाहिए।
हमनें लोक अदालत केम्प कोर्ट मे पत्रावली मे उपलब्ध
राजस्व रिकॉर्ड, की नकलात, ग्राम सरपंच पाल्या के द्वारा
जारी प्रमाण पत्र एवं पैरोकार सरकार नायब तहसीलदार
मालाखेड़ा के द्वारा प्रस्तुत जवाब का आद्योपान्त अवलोकन
किया तो हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते है कि इन्तकाल सं॰
300 मे दर्ज विरासत का इन्तकाल दीनदयाल पुत्र मनफूल
मीना ना॰ बा॰ सर॰ माता नारायणी बेवा मनफूल किता 3 रकबा
23/2 पर सही दर्ज हुआ किन्तु इसके बाद धनी जमाबन्दी
सम्वत 2036 से 2040 में मनफूल को उसके दादा काला रामकिशन
के साथ दर्ज कर मनफूल व रामकिशन भाई दर्ज हो गए इसी प्रकार
बन्दोबस्त सम्वत 2051 में भी 1/5 हिस्से पर मनफूल के पिता का
नाम दर्ज हो गया जबकि दीनदयाल पुत्र मनफूल व नारायणी बेवा
मनफूल 1/5 हिस्से पर दर्ज होना चाहिए। नारायणी मृतक हो चुकी है
उसके वारिसान दीनदयाल पुत्र मनफूल व उसकी बहनें छोटी
भग्गो, धंगी, सन्तो, हीरा व सुकली प्रत्येक 1/7 हिस्सा पर दर्ज
होना दर हि॰ 1/5 हिस्सा पर दर्ज होना चाहिए अत: वादीगण
का वाद डिक्री किया जाना उचित प्रतीत होता है।

सहायक कलेक्टर
अलवर

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	अत: तहसीलदार मालाखेडा को आदेश दिए जाते हैं कि ग्राम ~~खेडा~~ खेडली-पिचनोत के खाता सं-19 में खसरा नम्बर 766/0.50, 767/0.56, 768/0.20, 769/0.25 770/0.37, 771/0.25, 772/0.15, 773/0.10, 774/0.10 775/0.35, 776/0.45, 777/1-19, 778/0.30, 779/0.35, 780/0.25, 781/0.15, 782/0.15, 783/0.08, 784/0.08 कुल किता 19 कुल रकबा 5-83 हैक्टयर दीनदयाल पुत्र रामकिशन, नारायणी बेवा रामकिशन हि.1/5 को कलमजन कर, दीनदयाल पुत्र मनफूल, छोटी, भग्गो, धन्नी, सन्तो, हीरा, सुकली पुत्रीयान मनफूल जाति मीणा हिस्सा 1/5 में खातेदार दर्ज किया जावे। तद्नुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद होवे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दफ्तर दाखिल हो अतिरिक्त कलक्टर अलवर	